कार्यालय प्राचार्य, शासकीय स्वामी आत्मानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय नारायणपुर जिला–नारायणपुर (छ.ग.)

☎दूरभाष नं. 07781–252655, 252755, Email Add –narayanpurcollege@gmail.com

क्रमांक /452/अतिथि व्या./आमंत्रण/2025–26 नारायणपुर, दिनांक 25/07/2025

आदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 289/01/आउशि/राज.स्था/2025 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 23.07.2025 के अनुपालन मे महाविद्यालय मे अतिथि व्याख्याताओं की अध्यापन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालन हेतु **अतिथि व्याख्याता नीति–2024** के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र–2025–26 के लिए प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति करने की सहमति प्रदान की गई है। दिनांक 25.07.2025 द्वारा अतिथि व्याख्याता चयन समिति के अनुशंसा उपरान्त महाविद्यालय मे पूर्व शैक्षणिक सत्र 2024–25 मे कार्यरत श्रेणी–1, श्रेणी–2 एवं श्रेणी–3 के निम्नांकित विषयों:–

श्रेणी–1		श्रेणी–2		श्रेणी–3	
अतिथि व्याख्याता का नाम	विषय	अतिथि व्याख्याता का नाम	विषय	अतिथि व्याख्याता का नाम	विषय
डॉ.विजय लाल तिवारी	भूगोल	कु. सुष्मिता सक्सेना	राजनीति विज्ञान	श्री धर्मेन्द्र कुमार बघेल	अर्थशास्त्र
डॉ.हरिशंकर कुमार	भूगोल	श्री प्रदीप सलाम	समाजशास्त्र	श्रीमती प्रिती पटेल	अंग्रेजी
डॉ.मीनाक्षी ठाकुर	राजनीति विज्ञान	श्री जसमान बर्जेश	समाजशास्त्र	–	–
डॉ.वन्दना संजय नेताम	अर्थशास्त्र	श्री हंसराज भाषगौरी	वनस्पति शास्त्र	–	–
डॉ.विजेत्री विक्रम सिंह	हिन्दी	श्री प्रफुल्ल गेडाम	वनस्पति शास्त्र	–	–
डॉ.मिन्टु कुमार गौतम	समाजशास्त्र	श्री अनिरूध्द कुशवाहा	रसायन शास्त्र	–	–
–	–	श्री ऋषभपुरी गोस्वामी	कम्प्यूटर एप्ली.	–	–

उपरोक्त अतिथि व्याख्याताओं को मानदेय चार कालखण्डों के लिए रू. 2000/–प्रतिदिन (अधिकतम रू. 50000/–प्रतिमाह) पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन अस्थाई रूप से अध्यापन कार्य हेतु आंमत्रित किया जाता है।

अतिथि व्याख्याता की शर्ते :–

1. अभ्यर्थी को महाविद्यालय मे दिनांक 01 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार समय प्रातः 11:00 बजे कार्यभार ग्रहण करने हेतु आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना होगा अन्यथा आदेश स्वमेय निरस्त माना जायेगा।
2. कार्यभार ग्रहण के समय शपथ पत्र (परिशिष्ट–2) देना होगा की उसके विरूध्द पुलिस या न्यायालय मे कोई अपराधिक प्रकरण विचारधीन नही है। साथ ही व किसी अन्य शासकीय/अशासकीय सेवा मे नही है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय मे शिकायत संतोषजनक नही पाऐ जाने के आधार पर सेवांये समाप्त नही की गई है।
3. अतिथि व्याख्याता को प्रति दिन मानदेय दर पर शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिए रिक्त पद पर नियमित नियुक्ति अथवा स्थानांतरण होने तक जो भी पहले हो तब तक रखा जावेगा। अतिथि व्याख्याता का कार्य संतोषजनक न होने पर एक सप्ताह का नोटिस देकर उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
4. अतिथि व्याख्याता द्वारा बिना सूचना लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी व्यवस्था स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
5. अतिथि व्याख्याता के संबंधित विषय के शिक्षण कार्य के अतिरिक्त महाविद्यालय के कार्य जैसे नैक मूल्यांकन, अनुसंधान विकास, कार्यालयीन कार्य, परीक्षा कार्य, सांस्कृतिक, खेल–कूद, ग्रंथालय संबधित कार्य एवं अन्य सौपे गए कार्यो को भी करेंगे।
6. अतिथि व्याख्याता नीति–2024 के तहत अध्यापन व्यवस्था मे किये गए अतिथि व्याख्याता को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नही माना जायेगा और वे लोक–सेवक की विधि विहित परिभाषा के अन्तर्गत लोक–सेवक नही कहलायेंगे।

(डॉ. एस. आर. कुंजाम)
प्रभारी प्राचार्य
शासकीय स्वामी आत्मानंद स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, नारायणपुर (छ.ग.)

PRINCIPAL
Government Post Graduate College
Narayanpur, Dist.-Narayanpur
Chhattisgarh

क्रमांक /453/अतिथि व्या./आमंत्रण/2025–26 नारायणपुर, दिनांक 25/07/2025

प्रतिलिपि:–

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. सर्व संबंधित अतिथि व्याख्याता श्री/श्रीमती/डॉ./कु. .... को सूचनार्थ/पालनार्थ।

(डॉ. एस. आर. कुंजाम)
प्रभारी प्राचार्य
शासकीय स्वामी आत्मानंद स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, नारायणपुर (छ.ग.)

PRINCIPAL
Government Post Graduate College
Narayanpur, Dist.-Narayanpur
Chhattisgarh